

उत्तराखण्ड शासन

वित्त विभाग

सं० /2013/ 108(120) /XXVII(8)/02

दिनांकः देहरादूनः ०७ मार्च, 2013

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27, वर्ष, 2005) की धारा 32 की उपधारा (12), सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सहर्ष आदेश देते हैं कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन वर्ष 2009-2010 के लिये कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण दिनांक 31-03-2014 तक किया जा सकता है।

(डी०एस० गर्ब्याल)
सचिव, वित्त।

सं० 280 /2013/ 108(120) /XXVII(8)/02 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3-भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4-सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
- 5-एन०आई०सी०
- 6-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(सौजन्या)

अपर सचिव, वित्त।

वि. वि.
आवश्यक कार्यवाही
अपर आयुक्त कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

16499
11/3/13